

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 606 / 14-1 ,आगरा, दिनांक, 0/ अगस्त, 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद आगरा के यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई , उ०प्र० जल निगम आगरा द्वारा बौंदपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.ए.टी.पी. के निर्माण हेतु बौंदपुर वन ब्लॉक, बाबरपुर वन ब्लॉक, मऊ वन ब्लॉक एवं ताज वन ब्लॉक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक-8वी/ यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./१२३ दिनांक २९.१०.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्न बिन्दुओं पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक ५३२/१४-१ दिनांक २६.०७.२०२५ द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्या निम्नवत् है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निस्तारण
1.	As per condition no. 05 of In-principle approval, The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval . A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be. Will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	शर्त के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-१४०६/८१-२-२०२५ दिनांक २२.०७.२०२५ द्वारा धारा-२९ के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि घोषित किया गया है जिसकी प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
2.	As per condition no. 09 of In-principle approval, The KML file Geo-reference map & SOI toposheet of the area proposed for diversion needs to be uploaded on PARIVESH Portal.	पूर्व में प्रभागीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक-७६८१/१४-१ दिनांक २८.०४.२०२५ द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
3.	As per condition no. 13 of In-principle approval, The layout plan of the proposed shall not be changed without prior approval of Central Government.	पूर्व में प्रभागीय कार्यालय, आगरा के पत्रांक-७६८१/१४-१ दिनांक २८.०४.२०२५ द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 606 / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके कार्यालय के पत्रांक ५३२/१४-१ दिनांक २६.०७.२०२५ के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, ग्रामीण वाटर वर्क्स, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

5/8/25 कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा
पत्रांक / 14-1 आगरा : दिनांक : जुलाई, 26, 2025
सेवामें

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।
विषय: जनपद आगरा के यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम आगरा द्वारा बाँईपुर एवं शहर रैज के अन्तर्गत डी.एस.ए.टी.पी. के निर्माण हेतु बाँईपुर वन ब्लॉक, बाबरपुर वन ब्लॉक, मऊ वन ब्लॉक एवं ताज वन ब्लॉक की ०९०२४ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना गृहा पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक-८४१/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ सी/१२३ दिनांक २९.१०.२०२४
महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में संस्तुति सहित प्रेषित है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निस्तारण
1.	As per condition no. 05 of In-principle approval, The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutaed in the name forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval . A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be. Will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	शर्त के अनुपालन में प्ररनगत प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1406/81-2-2025 दिनांक 22.07.2025 द्वारा धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि घोषित किया गया है जिसकी प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
2.	As per conition no. 09 of In-principle approval, The KML file Geo-reference map & SOI toposheet of the area proposed for diversion needs to be uploadca on PARIVESH Portal.	पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-7681/14-1 दिनांक 28.04.2025 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
3.	As per conition no. 13 of In-principle approval, The layout plan of the proposad shall not be changed without prior approval of Central Government.	पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-7681/14-1 दिनांक 28.04.2025 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

पत्रांक 532 / दिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम ग्रामीण/वाटर वर्क्स आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्रांक 750 / नमामि गंगे आगरा / 234 दिनांक 23.7.2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषय:- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा बाईपुर एवं शहर रेंज के अंतर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 1. भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./१२३ दिनांक 24.10.2024 एवं आपके कार्यालय पत्रांक 7380/14-1 आगरा, दिनांक 11.04.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं. 8बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./१२३ दिनांक 24.10.2024 एवं आपके कार्यालय पत्रांक 7380/14-1 आगरा, दिनांक 11.04.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 329/नमामि गंगे आगरा/89 दिनांक 17.04.2025 द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति में उल्लिखित बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक 1230/81-2-2025-29(02)-2024 दिनांक 07.07.2025 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा 4 या धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

S. No.	Conditions	Compliance
5	As per condition no. 05 of In-principle approval, The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० 2668/डीएलआरसी दिनांक 22.08.2023 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा 4 या धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
9	As per condition no. 09 of In-principle approval, The KML file, Geo-reference map & SOI toposheet of the area proposed for diversion needs to be uploaded on PARIVESH Portal.	पूर्व में प्रेषित।
13	As per condition no. 13 of In-principle approval, The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	पूर्व में प्रेषित।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित 07 नग डीएसटीपी के निर्माण हेतु बाईपुर एवं शहर रेंज के अंतर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की कुल 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति हेतु अनापत्ति निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा ई-मेल द्वारा।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा ई-मेल द्वारा।

परियोजना प्रबन्धक

संख्या-146/81-2-2025

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक जुलाई, 2025

विषय:- जनपद-आगरा की तहसील फतेहाबाद के ग्राम मझयना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि क्षेत्रफल 0.9024 हे० का धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-71/11-बी-6 (धारा-29), दिनांक 09.09.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद-आगरा की तहसील फतेहाबाद के ग्राम मझयना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि क्षेत्रफल 0.9024 हे० का भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक प्रकाशित अधिसूचना की प्रति

Digitally signed by
VINAI KUMAR PATHAK

Date: 22-07-2025

11:13:27

भवदीय,

(विनय कुमार पाठक)

उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 7 जुलाई, 2025

आषाढ़ 16, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1230/81-2-2025-29(02)-2024

लखनऊ, 7 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-112

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	खसरा सं० / गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	मड़ायना	42 मि०	0.9024	उत्तर-शेष भाग खसरा संख्या-42मि० (वृक्षारोपण क्षेत्र) दक्षिण- शेष भाग खसरा संख्या-42मि० पूरब-शेष भाग खसरा संख्या-42 मि० पश्चिम-पगडंडी व शेष भाग खसरा संख्या-42मि०
				योग	0.9024	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1230/LXXXI-2-2025-29(02)-2024, dated July 7, 2025 :

No. 1230/LXXXI-2-2025-29(02)-2024

Dated Lucknow, July 7, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tahsil	Pargana	Name of Village	Khasara no./Gata no.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Agra	Fatehabad	Fatehabad	Madaiyna	42 mi	0.9024	North- Remaining Part of Kh. no. 42mi (Plantation Area) South- Remaining Part of Kh. no. 42mi East- Remaining Part of Kh. no. 42mi West- Trail and remaining Part of Kh. no. 42mi
				Total	0.9024	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.



pmypcuagra@gmail.com

फोन नं० : 09473942644

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्रांक ३२९ / जमागि गठे आगस / ८९ दिनांक १५.५.२०२५
सेवा में,

प्रमाणीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषय:- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा बाईपुर एवं शहर रेंज के अंतर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की ०.९०२४ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- १. भारत सरकार का पत्रांक ८बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./१२३ दिनांक २४.१०.२०२४ एवं आपके कार्यालय पत्रांक ७३८०/१४-१ आगरा, दिनांक ११.०४.२०२५।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं. ८बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./१२३ दिनांक २४.१०.२०२४ एवं आपके कार्यालय पत्रांक ७३८०/१४-१ आगरा, दिनांक ११.०४.२०२५ के द्वारा जनपद आगरा में आगरा सीवरेज योजना (आई० एण्ड डी० एण्ड एस.टी.पी. वर्क्स) में प्रस्तावित ०७ नग डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की ०.९०२४ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

S. No.	Conditions	Compliance
5	As per condition no. 05 of In-principle approval, The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	शर्त संख्या-५ के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० २६६८/डीएलआरसी दिनांक २२.०८.२०२३ द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है एवं भारतीय वन अधिनियम १९२७ (यथा संशोधित) की धारा ४ या धारा २९ के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराने हेतु कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के पत्र संख्या ३९६/१४-१ आगरा, दिनांक २२.०८.२०२४ द्वारा पुनः मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख बंदोवस्त, उ०प्र० लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।
9	As per condition no. 09 of In-principle approval, The KML file, Geo-reference map & SOI toposheet of the area proposed for diversion needs to be uploaded on PARIVESH Portal.	शर्त संख्या-९ अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
13	As per condition no. 13 of In-principle approval, The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त संख्या-१३ के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा ई-मेल द्वारा।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा ई-मेल द्वारा।

परियोजना प्रबन्धक

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3844 / 14-1, आगरा, दिनांक, 06 मई, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद-आगरा के यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बाईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी०एस०टी०पी० के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, गऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ०सी०/१२३ दिनांक २९.१०.२०२४।

गहोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का विन्दुवार प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 7681/14-1 दिनांक 28.04.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, के आधार पर लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निस्तारण
1	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP	शर्त सं०-5 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्र सं०-2668/डीएलआरसी दि० 22.08.2023 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथा संशोधित) की धारा-4 या धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप अधिसूचित कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के पत्र सं०-396/14-1 दिनांक 22.08.2024 द्वारा पुनः मुख्य वन संरक्षक, भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ०प्र०, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।
2	As per condition no. 09 of In Principle approval. The KML file Geo-reference map & SOI toposheet of the area proposed for division needs to be upload on PARIVESH Portal.	शर्त सं०-9 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	As per condition no. 13 of In-Principle approval. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त सं०-13 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 3844 / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 7681/14-1 दिनांक 28.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम आगरा वाटर वर्क्स चौराहा आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

गहोदय,
(डॉ० अनिल कुमार पटेल)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक: 768/14-1
सेवा में,

आगरा : दिनांक: अप्रैल, 28, 2025

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : जनपद आगरा के यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बाईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लॉक, बाबरपुर वन ब्लॉक, मऊ वन ब्लॉक एवं ताज वन ब्लॉक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/09/94/2023/एफ.सी./123 दिनांक 29.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार कर दिया गया है जो संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निस्तारण
1	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्र संख्या-2668/डीएलआरसी दिनांक 22.08.2023 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथा संशोधित) की धारा-4 या धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप अधिसूचित कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के पत्र संख्या-396/14-1 दिनांक 22.08.2024 द्वारा पुनः मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख बंदोबस्त, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।
2	As per condition no. 09 of In principle approval, The KML file Geo-reference map & SOI toposheet of the area proposed for diversion needs to be upload on PARIVESH Portal.	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	As per condition no.13 of In -principle approval, The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम आगरा वाटर वर्क्स चौराहा आगरा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन प्रकाश शाक्य)
प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।



pmypcuagra@gmail.com

मो० नं० : 09473942644.

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा — 282 004

पत्रांक

/

दिनांक

शर्त संख्या-9 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषय: यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु-9 के अनुसार "KML file, Geo-reference & toposheet map of proosed forest land need to be uploaded" के अनुपालन में परिवेश पोर्टल पर पूर्व में ही अपलोड किया जा चुका है। वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

N

प्रभागीय निदेशक
रासायनिक वानिकी प्रभाग

10

(रविन्द्र प्रताप सिंह)

परियोजना प्रबन्धक

यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

आगरा



pmypcuagra@gmail.com

मो० नं० : 09473942644.

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्रांक /

/

दिनांक

शर्त संख्या-13 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषय: यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के विन्दु-13 के अनुसार "The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

N

प्रभागीय निदेशक
सामानिक वानिकी प्रभाग

(रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
आगरा